[Ext..ct from Haryana Government Gazette, dated the 5th June, 2014]

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 5th June, 2014

No. 11/1/2010-5T-II.—The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 28, 65, 96 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by Principal Secretary to Government, Haryana, Transport Department, Chandigarh with respect to the draft of rules before the the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.
2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "State Transport Controller" wherever occurring, the words "Transport Commissioner" shall be substituted.
3. In the said rules, for the words "Additional State Transport Controller/Joint State Transport Controller" wherever occurring , the words "Additional/Joint Transport Commissioner" shall be substituted.
4. In the said rules, for rule 3, the following rule, shall be substituted, namely:—

Licensing Authority, Section 28(2)(a) and Section 38(2)(a).

"3. (1) Each Sub-divisional Officer (Civil) in the State shall be the licensing authority to issue licences under Chapter II within the area of his territorial jurisdiction in respect of a non-transport vehicle.

(2) Each Secretary, Regional Transport Authority and Assistant Secretary, Regional TransportAuthority shall be the licensing authority to issue licences under Chapter II within the area of his territorial jurisdiction in respect of a transport vehicle:

Provided that the licensing authority, in respect of a person requiring driving licences for both non-transport and transport vehicles, shall be the Secretary, Regional Transport Authority and Assistant Secretary, Regional Transport Authority.

(3) Each, Secretary, Regional Transport Authority and Assistant Secretary, Regional TransportAuthority shall be the licensing authority to issue licences under Chapter III within the area of his territorial jurisdiction.".

5. In the said rules, in rule 9,—
   (i) in sub-rule (1), the words, in "consultation with the Chief Medical Officer of the district concerned", shall be deleted.
6. In the said rules, in rule 33,—
   (i) for the words "District Transport Officer and Assistant District Transport Officer", wherever occurring,words "Secretary, Regional Transport Authority and Assistant Secretary, Regional Transport Authority" shall be substituted; and
   (ii) in the first proviso the words "or an omini bus" shall be deleted.
7. In the said rules, rule 59-A, shall be omitted.
8. In the said rules, in rule 225, in sub-rule (1), for clauses (ix) and (x), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(ix) Director General/Director State Transport;

(x) Additional/Joint Director State Transport;

9. In the said rules, in rule 226, in sub-rule (1), in the Schedule, for serial numbers 9, 10 and entries there against under column 1 and 2, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"9. Director General/Director State Transport;

10. Additional/Joint Director State Transport.".

R. R. JOWEL,

Principal Secretary to Government Haryana,

Transport Department.

209

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 5th June, 2014]

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2014

संख्या 11/1/2010-5T-II.—हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 65, 96 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार द्वारा नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, "राज्य परिवहन नियंत्रक" शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "परिवहन आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, "अपर राज्य परिवहन नियंत्रक/संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक" शब्द जहां कहीं भी आएं के स्थान पर, "अपर/संयुक्त परिवहन आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुज्ञापन प्राधिकारी। धारा 28 (2) (क) और धारा 38 (2) (क)।

"3. (1) राज्य में प्रत्येक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) गैर-परिवहन वाहन के संबंध में अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर अध्याय II के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

(2) प्रत्येक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण परिवहन वाहन के संबंध में अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर अध्याय II के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा :

परन्तु गैर-परिवहन तथा परिवहन वाहनों दोनों के चालन के लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति के संबंध में सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

(3) प्रत्येक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर अध्याय III के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 9 में,—
   (i) उपनियम (1) में, "सम्बद्ध जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह से" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
6. उक्त नियमों में, नियम 33 में,—
   (i) "जिला परिवहन अधिकारी तथा सहायक जिला परिवहन अधिकारी" शब्द जहां कहीं भी आएं के स्थान पर, "सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
   (ii) प्रथम परन्तुक में, "या ओमनी बस" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
7. उक्त नियमों में, नियम 59-क का लोप कर दिया जाएगा।
8. उक्त नियमों में, नियम 225 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ix) तथा (x) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

   "(ix) महानिदेशक/निदेशक राज्य परिवहन;

   (x) अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक राज्य परिवहन"।
9. उक्त नियमों में, नियम 226 में, उपनियम (1) में, अनुसूची में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 9 तथा 10 तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

   "(9) महानिदेशक/निदेशक राज्य परिवहन;

   (10) अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक राज्य परिवहन।"।

आर०आर० जोवल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

52335—C.S.—H.G.P., Chd.